

From,

S.S. Gautam,
Deputy Registrar,
High Court of Judicature at
Allahabad.

Request-90

To,

The Deputy Registrar (Budget)
High Court,
Allahabad.

88

No. 6755/IV-3038/Admin-A-1 Sec.

.Dated: 05-5-2014

Sub: Sanction of medical reimbursement claim to Sri Sunil Kumar-I, Chief Judicial Magistrate, Aligarh, amounting to Rs.5,09,156.00, incurred in his treatment.

Sir,

I am sending herewith a copy of Govt. Order no.1144/II-4-2013-53 (1)/ 2013, dated 24.02.2014, in connection with sanction of medical reimbursement claim, amounting to Rs.5,09,156.00, to Sri Sunil Kumar-I, Chief Judicial Magistrate, Aligarh, incurred in his treatment, for information and necessary action.

Encl: As above

Yours Faithfully

[Signature]
25.4.14
Deputy Registrar

*Q.R.(M)
if approved
may issue?*

[Signature]
25.4.14

[Signature]
25/04/14

[Signature]
25-4-14
AR

Savitral
7-3-14
CO-0 Encl

6-3-14

Request-90
16.3.14

पंजीकृत

संख्या-1144/दो-4-2013-53(1)/2013

प्रेषक,
राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
जिला न्यायाधीश,
अलीगढ़।

Register No. 116
File No. 127/2038
Serial No. 85
23-4-14
13/03/14
12/3/14

नियुक्ति अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 27 फरवरी, 2014

विषय:- श्री सुनील कुमार-I, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ की चिकित्सा पर व्यय हुई धनराशि की प्रतिपूर्ति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप निबन्धक, (एम) उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र सं0-15876/चार-3038/एडमिन-ए-1-सेक, दिनांक 21.11.2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 में निहित प्राविधानों के अधीन राज्यपाल महोदय श्री सुनील कुमार-I, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ का एस्कार्ट हार्ट इन्स्टीट्यूट, नई दिल्ली में दिनांक 09.05.2013 से 12.05.2013 तक कराये गये इलाज पर हुए व्यय के सापेक्ष रूपये-5,09,156/- (रूपये पाँच लाख नौ हजार एक सौ छप्पन मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त दावे से सम्बन्धित बिल/वाउचर्स मूलरूप में संलग्न है।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि के भुगतान से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि यदि कोई चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत गया हो तो उक्त अग्रिम का समायोजन कर लिया जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि प्रश्नगत विल वाउचर्स का भुगतान इससे पूर्व न हुआ हो।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-42 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक- 2014-न्याय प्रशासन-आयोजनेत्तर-105-सिविल और सेशन न्यायाधीश-03 जिला एवं सेशन न्यायाधीश-49 चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-G-2-127/X-2014, दिनांक 10-02-2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या-1144(1)/दो-4-2013-53(8)/2013, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 3- कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 4- अपर निदेशक, कोषागार, कचेहरी रोड, इलाहाबाद।
- 5- श्री सुनील कुमार-I, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलीगढ़।
- 6- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(योगेश्वर राम मिश्र)
विशेष सचिव

06 MAR 2014

San Amit
22/4/14

From,

S.S. Gautam,
Deputy Registrar (M),
High Court of Judicature at
Allahabad.

To

The District Judge,
Aligarh.

Report-90

86

No. 5655 /IV-3038/Admin A-1 Sec./ Dated: 11-4-2014

Subject: Regarding sanction of medical reimbursement claim, amounting to Rs.2,45,594.00 to Sri Sunil Kumar-I, Additional Chief Judicial Magistrate, Aligarh, incurred in the treatment of Cardiac Attack for the period from 13.05.2013 to 22.05.2013 at Fortis Escorts Heart Institute, New Delhi.

Sir,

With reference to your letter dated 04.10.2013, on the above subject, I am directed to send herewith attested copy of order dated 31.03.2014 regarding sanction of medical reimbursement claim, amounting to Rs.2,45,594.00 to Sri Sunil Kumar-I, Additional Chief Judicial Magistrate, Aligarh, incurred in the treatment of Cardiac Attack for the period from 13.05.2013 to 22.05.2013 at Fortis Escorts Heart Institute, New Delhi, along-with original bill/vouchers and other relevant papers in respect of his medical reimbursement claim and to request you kindly to make the payment of aforesaid amount to Sri Sunil Kumar-I, Additional Chief Judicial Magistrate, Aligarh through The Treasury Office, Aligarh.

Encl: As above

Yours Faithfully

S.S. Gautam
4.4.14
Deputy Registrar

*D.R. (M)
Order dated 31.3.14
of Hon'ble Mr. Justice
D.P. Singh is placed
before Magistrate*

*03.4.14
[Signature]*

87

No. 5656 /IV-3038/Admin A-1 Sec./ Dated: 11-4-2014

Copy forwarded alongwith copy of order dated 31.03.2014 for information and necessary action to:-

1. The Treasury Officer, Aligarh.
2. The Deputy Registrar (Budget), High Court, Allahabad.
3. Sri Sunil Kumar-I, Additional Chief Judicial Magistrate, Aligarh.

Encl: As above

S.S. Gautam
4.4.14
Deputy Registrar

[Signature]
03-4-14
AR

3
1-11-13
23-10-13
21-10-13

Santal
9-10-13
Encl-26 Page

Register No. 15267
Title No. IV/3038
Serial No. 80

10-10-13

प्रेषक,
जिला न्यायाधीश,
अलीगढ़।

23-10-13
22-10-13
27-11-13
Request-90

सेवा में,
महा निबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

389
7-10-13

पत्रांक 2002/8 /सिविल दिनांक 4/10/13

विषय:- श्री सुनील कुमार प्रथम, ए0सी0जे0एम0 कोर्ट सं. 07 जजी अलीगढ़ के स्वयं के इलाज पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा स्वीकृति हेतु प्रेषित करने के सम्बंध में।

महोदय,
उपरोक्त विषयक के सन्दर्भ में आपको अवगत कराना है कि श्री सुनील कुमार प्रथम, ए0सी0जे0एम0 कोर्ट सं. 07 जजी अलीगढ़ के स्वयं के इलाज पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा मु0 418180/-रु का प्रस्तुत किया है। मुख्य चिकित्साधिकारी अलीगढ़ द्वारा दावे के तकनीकी परिक्षणोपरान्त रु 245594/- की देय धनराशि प्रतिपूर्ति हेतु संस्तुति की गई है। इस पत्र के साथ प्रस्तुत दावा मूल बाउचरों सहित संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि श्री सुनील कुमार प्रथम, ए0सी0जे0एम0 कोर्ट सं. 07 जजी अलीगढ़ के स्वयं के इलाज पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा धनराशि मुबलिंग 245594.00 रुपये माननीय न्यायालय के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नक:- चिकित्सा दावा मूल बाउचरों सहित।

भवदीय,
जिला न्यायाधीश, 04/10/2013
अलीगढ़।

Sanjiv Kumar
24/10/13

26
3050
So. Adm. H/A

DRM
08-10-13

DRM

widen 26 page

प्रेषक ,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
अलीगढ़ ।

सेवा में ,

मा0 जिला न्यायाधीश
अलीगढ़ ।

Request-90

पत्रांक:एम-1/चिकित्सा प्रतिपूर्ति/2013/6726

दिनांक: 28-09-2013

विषय- श्री सुनील कुमार प्रथम , ए0सी0जे0एम0 कोर्ट संख्या-07 जजी अलीगढ़ के स्वयं के इलाज से सम्बन्धित चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे के सम्बन्ध में ।

महोदय ,


उपरोक्त विषयक कृपया आप अपने पत्रांक:2552/दस दिनांक: 03-09-2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा आपने श्री सुनील कुमार प्रथम , ए0सी0जे0एम0 कोर्ट संख्या-07 जजी अलीगढ़ के स्वयं के इलाज पर व्यय हुई धनराशि के बिल /वाउचर्स परीक्षण एवं प्रतिहस्ताक्षरित हेतु भेजे हैं ।

उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे के तकनीकी परीक्षणोपरान्त रू0-2,45,594=00 रू0-दो लाख पैंतालीस हजार पाँच सौ चौरानवे मात्र की देय धनराशि प्रतिपूर्ति हेतु संस्तुति की जाती है और तदनुसार अनिवार्यता प्रमाण पत्र प्रतिहस्ताक्षरित किया जाता है । आपके उक्त पत्र के साथ प्राप्त सभस्त अभिलेख मूल रूप में वापस किये जाते हैं ।

उक्त दावा प्रदेश के बाहर उपचार होने के कारण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की दरों पर परीक्षण किया गया है ।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार- ।

भवदीय


मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
अलीगढ़ ।

Registered Post

From,

S.S. Gautam,
Deputy Registrar (M),
High Court of Judicature at
Allahabad.

To,

The Under Secretary,
Appointment Sec.-4,
Government of U.P.,
Lucknow.

Request-90

*S.O. Admin H
Kindly resubmit this
file in u.r.c. for the
serial no. 80.
20.11.13*

No. 15076 /IV-3038/Admin-A-1 Sec./Dated: 21-11-2013

Subject: Reimbursement of medical claim, amounting Rs.5,09,156.00 of Sri Sunil Kumar-I, Additional Chief Judicial Magistrate, Aligarh, incurred in the treatment of Cardiac Attack at Fortis Escorts Heart Institute, New Delhi for the period from 09.05.2013 to 12.05.2013.

*D.R.(M)
Order dated 11.11.13
of A.R.G. is placed
below. May issue P.
16.11.13*

Sir,
I am directed to send herewith a copy of letter dated 04.10.2013 of District Judge, Aligarh alongwith original bill/ vouchers and other relevant papers (containing 20 leaves) in respect of medical reimbursement claim of Sri Sunil Kumar-I, Additional Chief Judicial Magistrate, Aligarh on the above subject and to say that Sri Sunil Kumar-I has incurred Rs.5,09,156.00 in his treatment at Fortis Escorts Heart Institute, New Delhi for the period from 09.05.2013 to 12.05.2013. According to the Medical Attendance Rule 2011 the medical reimbursement claim for more than Rs.2,50,000.00 is to be sanctioned by the Government of U.P. Government employees who are in service.

I am therefore to request you kindly to obtain necessary orders of the Government in respect of aforesaid medical reimbursement claim of Sri Sunil Kumar-I and communicate the same to this Court.

*16/11/13
16-11-13*

Yours Faithfully

Accaulau
16.11.13
Deputy Registrar

No. 15077 /IV-3038/Admin-A-1 Sec./Dated: 21-11-2013

Copy forwarded to Sri Sunil Kumar-I, Additional Chief Judicial Magistrate, Aligarh for information and necessary action.

Accaulau
16.11.13
Deputy Registrar

3
20/10/13
(1-10-13)
21/10/13

Scotal
9-10-13
Encl-(19) Rose
प्रेषक,

16244
Register No.
File No. 7.3038
Serial No. 79

10.10.13

23-10-13

Request-90
22-10-13

जिला न्यायाधीश,
अलीगढ़।

सेवा में,

महा निबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

388
7-10-13

पत्रांक

2798/4V- /सिविल

दिनांक -4-10-13

विषय:-

श्री सुनील कुमार प्रथम, ए0सी0जे0एम0 कोर्ट सं. 07 जजी अलीगढ़ के स्वयं के इलाज पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा सरकार के प्रशासकीय विभाग को स्वीकृति हेतु प्रेषित करने के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सन्दर्भ में आपको अवगत कराना है कि श्री सुनील कुमार प्रथम, ए0सी0जे0एम0 कोर्ट सं. 07 जजी अलीगढ़ के स्वयं के इलाज पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा मु0 593146/-रु का प्रस्तुत किया है। मुख्य चिकित्साधिकारी अलीगढ़ द्वारा दावे के तकनीकी परिक्षणोपरान्त रु 509156/- की देय धनराशि प्रतिपूर्ति हेतु संस्तुति की गई है। इस पत्र के साथ प्रस्तुत दावा मूल बाउचरों सहित संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि श्री सुनील कुमार प्रथम, ए0सी0जे0एम0 कोर्ट सं. 07 जजी अलीगढ़ के स्वयं के इलाज पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा धनराशि मुबलिंग 509156.00 रुपये माननीय न्यायालय के समक्ष रखकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की संस्तुति के बाद और वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति से सरकार के प्रशासकीय विभाग को स्वीकृति हेतु प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नक:- चिकित्सा दावा मूल
बाउचरों सहित।

19
3044
S. Adm H/A

D.R.M)
08-10-13

3

DRCM)

with encl (19) sheet

भवदीय,
जिला न्यायाधीश,
अलीगढ़।
24/10/13

11/10/13

11/10/13